# वकीलों का बहिष्कार-प्रस्ताव और अभियुक्त का वकील पाने का अधिकार

न्यायिक प्रक्रिया, विधि-व्यवसाय और मौलिक अधिकार | समाचार संदर्भ: 29 जून 2026 (अयोध्या) और 9 जुलाई 2026 (विश्लेषण) | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

## पृष्ठभूमि और संदर्भ

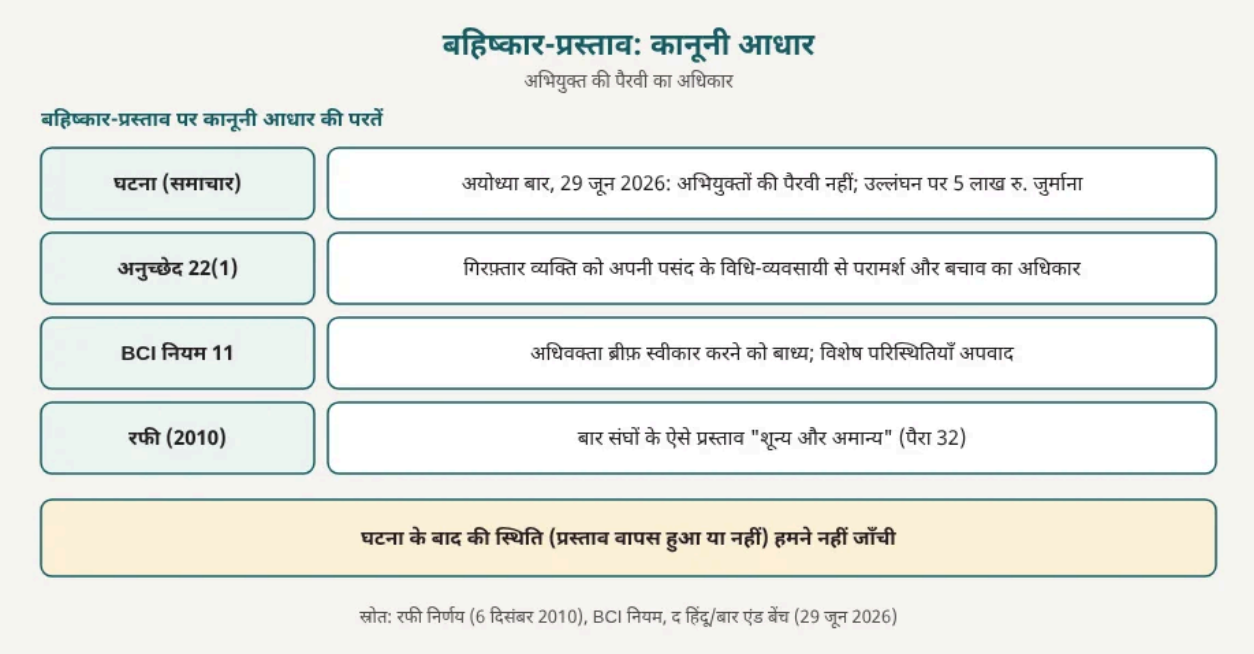
भारतीय आपराधिक न्याय-व्यवस्था में अभियुक्त की पैरवी वकील करते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 22(1) में गिरफ़्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि-व्यवसायी से परामर्श लेने और उससे बचाव कराने का अधिकार दिया गया है। जब कोई बार संघ सदस्यों को किसी अभियुक्त की पैरवी से रोकने का प्रस्ताव पास करता है, तो यह अधिकार व्यवहार में बाधित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न पर 2010 में विस्तार से बोल चुका है।

## खबरों में क्यों

द हिंदू और बार एंड बेंच की 29 जून 2026 की रिपोर्टों के अनुसार अयोध्या (फ़ैज़ाबाद) बार एसोसिएशन ने राम मंदिर के दान की कथित हेराफेरी के मामले में आपात बैठक कर तय किया कि उसका कोई सदस्य अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेगा, और ऐसा करने वाले वकील पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। द हिंदू के अनुसार इस प्राथमिकी में आठ लोग नामजद हैं। लाइवलॉ (30 जून) ने प्रस्ताव का वर्णन इस रूप में किया कि पैरवी चाहने वाले वकील को संघ को आवेदन देकर प्रति अभियुक्त 5 लाख रुपये जमा करने होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने 30 जून को (टेलीग्राफ/PTI के अनुसार) इस प्रस्ताव को “अनैतिक और अवैध” कहा।

## मुख्य अवधारणा: अभियुक्त की पैरवी का अधिकार और वकील का कर्तव्य

यह दो अलग बातें हैं। अधिकार अभियुक्त का है: अनुच्छेद 22(1) के शब्दों में गिरफ़्तार व्यक्ति को “अपनी पसंद के विधि-व्यवसायी” से परामर्श और बचाव का अधिकार है। कर्तव्य वकील का है: बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों में लिखा है कि अधिवक्ता न्यायालयों में कोई भी ब्रीफ़ स्वीकार करने को बाध्य है, और “विशेष परिस्थितियाँ” किसी विशेष ब्रीफ़ को अस्वीकार करना उचित ठहरा सकती हैं। रफी (2010) का कथन इन दोनों को जोड़कर सामूहिक बहिष्कार-प्रस्तावों पर लागू होता है।




मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

## मुख्य तथ्य और आंकड़े

| | |
|---|---|
| **घटना (समाचार-रिपोर्ट)** | **अयोध्या बार एसोसिएशन, 29 जून 2026: राम मंदिर दान-हेराफेरी के अभियुक्तों की पैरवी न करने का प्रस्ताव; उल्लंघन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना (द हिंदू, बार एंड बेंच)** |
| **संवैधानिक आधार** | अनुच्छेद 22(1): गिरफ़्तार व्यक्ति को “अपनी पसंद के विधि-व्यवसायी” से परामर्श और बचाव का अधिकार (पाठ रफी के निर्णय में उद्धृत रूप में पढ़ा) |
| **पेशेवर नियम** | BCI नियम 11: अधिवक्ता ब्रीफ़ स्वीकार करने को बाध्य; विशेष परिस्थितियाँ अपवाद (BCI वेबसाइट पर पढ़ा) |
| **निर्णय** | ए.एस. मोहम्मद रफी बनाम तमिलनाडु राज्य, सर्वोच्च न्यायालय, 6 दिसंबर 2010: ऐसे बार-प्रस्ताव “शून्य और अमान्य” घोषित (पैरा 14-16 और 30-33 पढ़े) |
| **अन्य निर्णय (केवल लाइवलॉ के हवाले से)** | सुबेदार बनाम उत्तर प्रदेश (2020) और रूपश्री एच.आर. बनाम कर्नाटक (2024); हमने इनके मूल निर्णय नहीं पढ़े |

## रफी (2010) में न्यायालय ने क्या कहा

**प्रस्तावों की स्थिति:** पीठ ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव “पूरी तरह अवैध, बार की सभी परंपराओं के विरुद्ध और पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध” हैं (पैरा 16)। पैरा 32 में उसने घोषित किया कि भारत में बार संघों के ऐसे सभी प्रस्ताव “शून्य और अमान्य” हैं, और “सही सोच वाले वकीलों” को उन्हें अनदेखा करना चाहिए।

**अभियुक्त और वकील:** पैरा 16 के अनुसार समाज की नज़र में कोई कितना भी बुरा हो, उसे अदालत में बचाव का अधिकार है और इसी के अनुरूप वकील का कर्तव्य है कि वह उसका बचाव करे।

**परिपत्र:** पैरा 33 में न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्णय की प्रतियाँ सभी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशनों और राज्य बार काउंसिलों को भेजने का निर्देश है। यह हमारी व्याख्या है कि इससे निर्णय का दायरा केवल कोयंबटूर के प्रस्ताव तक सीमित नहीं रहता।

## यह विषय क्यों मायने रखता है

**निष्पक्ष सुनवाई:** यदि वकील ही पैरवी से मना कर दें, तो अभियुक्त का बचाव कमज़ोर पड़ता है। लाइवलॉ के अनुसार सुबेदार (2020) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पैरवी के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा। हमने यह निर्णय स्वयं नहीं पढ़ा।

**बार की स्वायत्तता और अनुशासन:** बार संघ अपने सदस्यों का संगठन हैं, पर रफी के अनुसार सामूहिक प्रस्ताव से पैरवी रोकना पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध है। रफी में निर्णय की प्रतियाँ राज्य बार काउंसिलों को भी भेजने का निर्देश था।

## बहस के बिंदु और सावधानियाँ

**प्रवर्तन का प्रश्न:** रफी ने प्रस्तावों को शून्य घोषित किया, पर हमारे पढ़े गए अंशों में जुर्माने या अन्य कार्रवाई की कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है। इसलिए व्यवहार में प्रवर्तन कैसे होगा, यह रफी से तय नहीं होता।

**अयोध्या मामले की वर्तमान स्थिति:** हमारे पास 9 जुलाई 2026 तक की समाचार-सामग्री है। इसके बाद प्रस्ताव वापस हुआ, उसे चुनौती मिली, या अभियुक्तों को वकील मिला, इसकी जाँच हम नहीं कर सके। इसलिए लेख को जून-जुलाई 2026 की घटना के रूप में पढ़ें।

**स्रोतों की सीमा:** प्रस्ताव का विवरण (जुर्माने का स्वरूप, आवेदन और जमा-राशि) रिपोर्टों में थोड़ा भिन्न है; हमने संघ का मूल प्रस्ताव नहीं देखा।

## आगे की राह

**आगे देखने की बातें ये हैं:** क्या अयोध्या बार का प्रस्ताव वापस हुआ या किसी मंच पर चुनौती मिली, और बार काउंसिलों ने ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की। इन पर हमारे पास जुलाई 2026 के बाद की जारीकर्ता-पुष्ट जानकारी नहीं है।

## अवधारणा में अंतर

**तीन बातें अलग रखें:** (1) सर्वोच्च न्यायालय के रफी (2010) निर्णय में कही गई बात; (2) अयोध्या के प्रस्ताव का समाचार-आधारित विवरण; और (3) हमारी व्याख्या कि रफी का कथन इस प्रस्ताव पर लागू होता है।

## मेंस दृष्टि

GS-II: न्यायपालिका, मौलिक अधिकार; GS-IV: पेशेवर नैतिकता। उत्तर में संवैधानिक आधार, नियम और निर्णय को अलग लिखें, और घटना के लिए समाचार-स्रोत बताएँ।

## UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

**अयोध्या बार एसोसिएशन के जून 2026 के प्रस्ताव के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि अभियुक्त की पैरवी रोकने वाले बार-प्रस्तावों पर संविधान, BCI नियम और रफी (2010) का क्या रुख है। ऐसे प्रस्तावों को रोकने की सीमाओं पर भी टिप्पणी कीजिए।**

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

### उत्तर की रूपरेखा

**भूमिका में:** घटना।

**मुख्य भाग में:** अनुच्छेद 22(1); BCI नियम 11; रफी (2010); सीमाएँ (प्रवर्तन, वर्तमान स्थिति)।

**निष्कर्ष में:** अभियुक्त के बचाव और वकील के पेशागत कर्तव्य को अनुच्छेद 22(1), नियम 11 तथा रफी के कथन से जोड़ें; प्रस्ताव की कानूनी अमान्यता को अपने आप प्रभावी प्रवर्तन न मानें और अयोध्या घटना की समाचार-आधारित तथा समय-सीमित जानकारी स्पष्ट रखें।

## स्रोत

- सर्वोच्च न्यायालय: ए.एस. मोहम्मद रफी बनाम तमिलनाडु राज्य (6 दिसंबर 2010), Indian Kanoon की प्रति; पैरा 14-16 और 30-33 पढ़े गए
- बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया: व्यावसायिक मानकों पर नियम (नियम 11)
- The Hindu: Ayodhya lawyers refuse to represent Ram Temple embezzlement accused (29 जून 2026)
- Bar & Bench: Ayodhya Bar Association seeks CBI probe, says it won't defend accused (29 जून 2026)
- LiveLaw: Why Ayodhya Lawyers' Refusal To Represent Accused ... Violates Law (30 जून 2026)
- The Indian Express: Ayodhya Bar Association refuses to represent the accused ... Is this legal? (29-30 जून 2026)
- Telegraph India/PTI: VHP opposes lawyers' boycott (30 जून 2026)
- ThePrint: Kasab, Kathua & now Ayodhya boycott (9 जुलाई 2026)

रफी का निर्णय Indian Kanoon की प्रति से पढ़ा गया, जारीकर्ता (सर्वोच्च न्यायालय) की साइट से नहीं; अनुच्छेद 22(1) का पाठ उसी निर्णय में उद्धृत रूप में पढ़ा गया, संविधान के आधिकारिक पाठ से नहीं मिलाया गया। BCI नियम 11 BCI की वेबसाइट पर पढ़ा गया। घटना के तथ्य केवल समाचार-रिपोर्टों से हैं। सुबेदार (2020) और रूपश्री (2024) केवल लाइवलॉ के हवाले से हैं। जुलाई 2026 के बाद की स्थिति की जाँच नहीं की गई।

**याद रखें:** सर्वोच्च न्यायालय ने रफी (2010) में बार संघों के ऐसे प्रस्तावों को शून्य और अमान्य घोषित किया था जो किसी अभियुक्त की पैरवी रोकते हैं; अयोध्या बार का 29 जून 2026 का प्रस्ताव उसी प्रश्न को फिर सामने लाया।